



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 16.11.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही



पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना बीमा, मॉडिफाई साइलेंसर एवं बिना प्रदूषण के वाहन चलाने पर शहर स्थित एलआरपी चौराहा, राजापुर, ओयल पर संयुक्त रूप से चेकिंग यातायात पुलिस एवं एआरटीओ श्री रमेश कुमार चौबे, टीएसआई श्री संजीव तोमर, आरक्षी यातायात बीवन राज, पंकज वर्मा, सत्यप्रकाश, जैनेंद्र शर्मा एव वाईडी इंटर कॉलेज ओयल में NCC के सुबेदार मेजर सुमेर सिंह, सतपाल सिंह, भरत सिंह, रामभजन, हवलदार संजय कुमार के साथ करीब 430 एनसीसी कैडिट्स (छात्र-छात्राओं) को यातायात नियमों के बारे में पंपलेट देकर जागरूक किया गया एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है।

दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। स्कूल जाते समय हमेशा अपने बाईं ओर चलें, घर से 10 मिनट पहले चले, उतावलेपन में ना चले, वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए

वाहन चलाने से बचें, स्टंट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, मॉडिफाई साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें, गलत दिशा में ना चलें। इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें, ट्रैक्टर ट्रॉली, लोडर पिकअप पर यात्रा न करें। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 165 वाहनों का चालान व 05 वाहन सीज किए गए हैं।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त शुभम शुक्ला पुत्र मदन शुक्ला को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15.11.22 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम शुक्ला पुत्र मदन शुक्ला निवासी शंकरपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 01 अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद कुंडल पीली धातु बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 781/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 85 लीटर अवैध शराब बरामद कर 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **85 लीटर अवैध** कच्ची शराब बरामद कर **06 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **06 अभियोग** पंजीकृत किए गए।